

# कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: ५बी०स्था०व्य०/वि०प्र०-०१(२०१८-१९)

1571

दिनांक: २७.४.१८

प्रेषक:

सजय कुमार, भा०व०से०,  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक,  
प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका।

**विषय:** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा बन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

**प्रसंग:-** योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार, राँची का पत्रांक 29/ बी०टी०ई०-१०/ 2017-18/ 77/ बजट, दिनांक 21.02.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष के 12-एल०टी०सी० इकाई में 1.00 लाख रु० तथा 13-देशीय यात्रा व्यय इकाई में 2.50 लाख रु० की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-१०/ 2017-18 / 77/ बजट राँची, दिनांक 21.02.2018 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय झाप संख्या-एम०-४-०५/ ९८ २५६१/ वि० (२) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/ २००३/ १८०० दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन आपके कार्यालय पत्रांक 169 दिनांक 06.04.2018 के आलोक में दी जाती है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या-BDUDDA/01-18-19/26B की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०-यथो०:

विश्वासभाजन,

२७.४.१८

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।



## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

#### Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु लिम्नाकित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या -

BDUDDA/01-18-19/26B

दिनांक -

27-Apr-2

| क्रमांक | विपत्र कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.                                  | आवंटित राशि                              |
|---------|---|-----------|--|--|
| 1       | S 19 240601001010112<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>01 - निदेशन एवं प्रशासन<br>01 - बेतन एवं भत्ते<br>12 - छुट्टी यात्रा रियायत<br><b>Establishment Expenditure</b> | 21445     | DMKFOR036<br>AKHILESH KUMAR<br>ADDI.P.C.C.F & DIRECTOR | 100,000.00<br>रुपये एक लाख               |
| 2       | S 19 240601001010213<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>01 - निदेशन एवं प्रशासन<br>02 - यात्रा भत्ते<br>13 - देसीय यात्रा भत्ता<br><b>Establishment Expenditure</b>     | 21443     | DMKFOR036<br>AKHILESH KUMAR<br>ADDI.P.C.C.F & DIRECTOR | 250,000.00<br>रुपये दो लाख पचास हजार     |
|         |   |           |  | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA |

योगः

350,000.00

क्रमिक योगः

रुपये तीन लाख पचास हजार

*S-12-V  
29/4/18*  
(SANJAY KUMAR)

Principal Chief Conservator of Forest,  
Jharkhand, Ranchi

Run Date: 27/4/2018